

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 63]

भोपाल, शनिवार दिनांक 27 जनवरी 2018—माघ 7, शक 1939

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 27 जनवरी 2018

क्र. एफ-ए-3-61-2017-1-पांच (20).—मध्यप्रदेश माल और सेवा कर नियम 2017, के नियम 123 उपनियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, राज्य स्तरीय छानबीन समिति का कार्यालय, परिसर, कार्यालय आयुक्त, वाणिज्यिक कर, मोती बंगला, इंदौर मध्यप्रदेश पिन 452007 में अधिसूचित करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण परमार, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 27 जनवरी 2018

क्र. एफ-ए-3-61-2017-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-61-2017-1-पांच (20), दिनांक 27 जनवरी 2018, का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण परमार, उपसचिव.

Bhopal, the 27th January 2018

No. F. A-3-61-2017-1-V-(20).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of rule 123 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, the State Government hereby notifies the office of the State Level Screening Committee in the permises of Office of The Commissioner Commercial Tax, Moti Bunglow, PIN 452007, Indore Madhya Pradesh.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ARUN PARMAR, Dy. Secy.

125